

760

28-2-14

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राज.कीय वादकरण)

कमांक प0 15(12) राज/वाद/2000,पार्ट

जयपुर दिनांक 21-2-14

:: आदेश ::

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11.02.14 में निम्न प्रकार आंशिक संशोधन

किया जाता है:-

1. श्री मनु भागवत गवर्नमेन्ट काउन्सिल एवं श्री सुनील कुमार एडीशनल गवर्नमेन्ट काउन्सिल को आवंटित गृह (सेवा संबंधी प्रकरण) विभाग उनसे प्रत्याहरित कर श्री अर्जुन सिंह खंगारोत, एडीशनल गवर्नमेन्ट काउन्सिल को आवंटित किया जाता है। एवं श्री अर्जुन सिंह खंगारोत को आवंटित उच्च शिक्षा विभाग उनसे प्रत्याहरित कर श्री मनु भागवत, गवर्नमेन्ट काउन्सिल को आवंटित किया जाता है।
2. श्री बृज किशोर शर्मा, एडीशनल गवर्नमेन्ट काउन्सिल को आवंटित सार्वजनिक निर्माण विभाग उनसे प्रत्याहरित कर श्री अर्जुन सिंह खंगारोत एडीशनल गवर्नमेन्ट काउन्सिल को आवंटित किया जाता है। एवं श्री अर्जुन सिंह खंगारोत को आवंटित महिला बाल विकास विभाग उनसे प्रत्याहरित कर श्री बृज किशोर शर्मा को आवंटित किया जाता है।
3. श्री दीनदयाल शर्मा, डिप्टी गवर्नमेन्ट काउन्सिल को आवंटित गृह (सेवा संबंधी मामलों को छोड़कर) विभाग उनसे प्रत्याहरित कर श्री परीक्षित सिंह, डिप्टी गवर्नमेन्ट काउन्सिल को आवंटित किया जाता है। एवं श्री परीक्षित सिंह को आवंटित वित्त विभाग व रिंचार्ज विभाग उनसे प्रत्याहरित किये जाते हैं एवं वित्त विभाग एवं श्री धीरज त्रिपाठी को आवंटित किया जाता है।
4. श्री धीरज त्रिपाठी को आवंटित प्रारम्भिक शिक्षा विभाग उनसे प्रत्याहरित कर श्री परीक्षित सिंह डिप्टी गवर्नमेन्ट काउन्सिल को आवंटित किया जाता है।
5. श्री बाबू लाल सैनी, डिप्टी गवर्नमेन्ट काउन्सिल को आवंटित योजना एवं सामाजिक न्याय विभाग उनसे प्रत्याहरित किये जाते हैं।

साथ ही श्री धीरज त्रिपाठी डिप्टी गवर्नमेन्ट काउन्सिल को टी0ए0डी0 विभाग तथा श्री दीनदयाल शर्मा, डिप्टी गवर्नमेन्ट काउन्सिल को भू-जल विभाग एवं श्री बाबू लाल सैनी डिप्टी गवर्नमेन्ट काउन्सिल को रक्षा विभाग पैरवी हेतु आवंटित किये जाते हैं।

नोट:- शेष आवंटित विभाग आदेश दिनांक 11.02.14 के अनुसार यथावत रहेंगे।

आज्ञा से

80


(गोवर्धन बाढदार)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री/मुख्य सचिव/अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख विधि सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।

.....निरन्तर

2. समस्त जिला कलक्टर / विभागाध्यक्ष।
3. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, बैंच जयपुर।
4. राजकीय अधिवक्ता / गवर्नमेंट काउन्सिल, जयपुर / जोधपुर।
5. अतिरिक्त महाधिवक्ता / एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
6. संबंधित अतिरिक्त महाधिवक्ता।
7. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग जयपुर।
8. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
9. रजिस्ट्रार जनरल / रजिस्ट्रार प्रशासन, राजस्थान उच्च न्यायालय, बैंच जयपुर / जोधपुर।
10. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
11. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
12. लेखा शाखा, विधि विभाग, जयपुर।
13. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ / समस्त उप विधि परामर्शीगण, विधि विभाग।
14. कोषाधिकारी, जयपुर।
15. रक्षित पत्रावली।


(हरिकिशन रीचर) ५
विशिष्ट शासन सचिव, विधि